

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 41/2017 राजस्व अपील

1. बलवीर पुत्र बंशी गुर्जर जाति गुर्जर निवासी पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा
अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा तहसील सिकराय
जिला दौसा
रेस्पोजेन्ट



अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार सिकन्दरा निर्णय दिनांक 08.03.2016 प्रकरण
उनवासी सरकार बनाम बलवीर, प्रकरण सं. 430/2016 अन्तर्गत धारा 91 एलआरएक्ट।

उपस्थिति : श्री निर्मल कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्त उप0।

: श्री चन्द्रशेखर टापरिया, राजकीय अधिवक्ता उप0।

—: निर्णय :-

दिनांक: 15.01.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से हैं कि भूमि खसरा नम्बर 305/2 रकबा 5 बीघा चरागाह वाके ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। इस भूमि का स्वरूप चरागाह जैसा नहीं रहा है, इस भूमि पर अपीलान्त का कोई कब्जा काशत नहीं है। उप तहसीलदार सिकन्दरा ने अपीलान्त के विरुद्ध दिनांक 08.03.2016 को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 08.03.2016 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 08.03.2016 से व्यथित होकर अपीलान्त द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोजेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्त ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्त का कोई कब्जा नहीं है इसके बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा झूठी मौका रिपोर्ट पेश कर दि गई है। अधीनस्थ

अति० जिला कलक्टर

दौसा

प्रकरण संख्या : 41 / 2017 राजस्व अपील

न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति एवं अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (कब्जा काशत नही होने का शपथ पत्र) का अवलोकन नही करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय खारिज फरमाया जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा ग्राम पीपलकी तहसील सिकराय में स्थित राजकीय चरागाह भूमि खसरा नंबर 305/2 रकबा 5 बीघा पर अतिक्रमण करने पर अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर दिनांक 08.03.2016 को अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्त पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2016 में कोई हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.03.2016 को यथावत रखते हुए अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 15.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति० जिला कलेक्टर,
दौसा

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति० जिला कलेक्टर,
दौसा